न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रकरण –प्रार्थना पत्र संख्या 65/2022

अनवान प्रकरण

सुश्री पारसी राव पुत्री गोपाललाल राव नाबा0 जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती वंदना देवी पत्नि गोपाललाल राव निवासी मांडल तहसील माण्डल वगैरह —— प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री गोपाल पिता अमरचन्द राव निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरह—अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04..03.22	प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर एक तरफा बहस की । बहस में निवेदन किया कि ग्राम मांडल में हाल खतौनी संख्या 47 में आराजी नम्बर 3198 रकबा 0.4806 हैक्टर, आ0नं0 3202 रकबा 0.4553 हैक्टर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.9359 हैक्टर वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 01 व विपक्षी संख्या 02 के नाम पर संयुक्त दर्ज है जिसमें विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा निहीत है एवं हाल खतौनी संख्या 419 में आराजी नम्बर 10038/5784 रकबा 0.1391 हैक्टर नहरी द्वितीय, आ0नं0 10161/5784 रकबा0. 1097 है0, कुल कीता 02 कुल रकबा 0.2488 हैक्टर वर्तमान रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 01 व विपक्षी संख्या 03 लगायत 06 के नाम पर संयुक्त दर्ज है जिसमें विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा निहीत है। उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 01 को अपने सांपतिक एवं विरासतीय हक व अधिकार से स्व0 अमरचन्द जी से प्राप्त हुई तथा उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 की पुश्तैनी एवं मौरूसी आराजीयात है जिसमें विपक्षी संख्या 01 के हक हिस्से की आराजीयात पर प्रार्थीगण व उसकी माता काबिज होकर फसल काश्त करते हैं परन्तु आराजीयात विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 के नाम पर दर्ज होने से विपक्षी संख्या 01 विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण को कोई हक हिस्सा नहीं देना चाहता है तथा खुर्द बुर्द रहन बह, बख्क्षीस करने पर आमादा है। जबकि विक्षीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं करने बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिनांक 01.03.2022 को कहा लेकिन नहीं माने व कहा कि आराजीयात हमारे नाम पर है इसलिए कब्जा छोड दो हम आराजीयात को अन्य को हस्तान्तरित करेगें। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे क्योंकि आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होकर अविभाजित सम्पदा है। इस बाबत वाद भी श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। हमने वकील प्रार्थीगण को सुना तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों पर मनन किया तो पाया कि पक्षकारान में मुकदमेबाजी नहीं बढे इसके लिए विपक्षीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मांडल पटवार मण्डल माण्डल प्रथम में हाल खतौनी संख्या 47 में आराजी नम्बर 3198 रकबा 0.4806 हैक्टर, आ0नं0 3202 रकबा 0.4553 हैक्टर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.9359 हैक्टर एवं हाल खतौनी संख्या 419 में आराजी नम्बर 10038/5784 रकबा 0.1391 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय आ0नं0 10161/5784 रकबा0.1097 है0, कुल कीता 02 कुल रकबा 0.2488 हैक्टर से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी पेशी 08.04.22 तक बनाई रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी करें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

वन्दना देवी राव

24.3.22

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिरहा से तलब की गई। प्रार्थनापत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है वकील प्रार्थीगण प्रकरण मे अप्रार्थीगण के वि कहु कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रकरण इसी स्तर पर डिप फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर मनन किया। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है आपसी राजीनामा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर डिप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा